कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ दिनांक–

12 JUN 2018
प्राप्ति तिथि

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, समस्तीपुर
जिला– समस्तीपुर

महाशय,

नगर परिषद, समस्तीपुर के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 750/17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

— ह० —

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/14736/50 दिनांक– 8.6.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, समस्तीपुर

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

5283

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या :–750 / 17–18

भाग–1
प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद, समस्तीपुर	
2	लेखा की अवधि	2015–16 से 2016–17	
3	विस्तृत जाँच का माह	मार्च 2016 एवं मार्च 2017	
4	लेखापरीक्षा का विस्तार	विभिन्न केंद्र / राज्य योजना मद से ली गई योजनाओं से संबंधित रोकड़बही, बैंक पासबुक, योजना अभिलेख, योजना पंजी, होल्डिंग रसीद, विविध रसीद, सैरात बंदोबस्ती पंजी एवं अभिलेख, एवं भुगतान अभिश्रव। राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की अद्यतन (अगस्त 2017 तक) जाँच की गई।	
5	लेखापरीक्षा की अवधि	11.09.2017 से 23.09.2017	
6	**प्रशासन**	**नाम**	**अवधि**
	(क) अध्यक्ष	1. श्रीमती अर्चना देवी	01.04.2015 से 17.12.2016
		2. श्रीमती वीणा देवी	18.01.2017 से 31.03.2017
	(ख) उपाध्यक्ष	1. श्री सुजय कुमार	01.04.2015 से 15.09.2016
		2. श्री विश्वनाथ साह	16.09.2016 से 31.03.2017
	(ग) कार्यपालक पदाधिकारी	1. श्री शशि भूषण प्रसाद	01.04.2015 से 19.08.2015
		2. श्री देवेन्द्र सुमन	19.08.2015 से 31.03.2017
7	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री महेश प्रसाद, वरीय लेखापरीक्षक 2. श्री रामनाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक 3. श्री अनिल कुमार रजक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	
8	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री अरूण कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी	
9	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।	

10	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
11	क्या आपत्तियों पर विचार विमर्श हुआ?	हाँ, दिनांक–23.09.2017 को अंकेक्षण आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से विचार–विर्मश किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(Disclaimer Certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई **नगर परिषद, समस्तीपुर** के द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भाग–II (क)

कंडिका (1): राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के प्रशिक्षण घटक (EST & P) पर निष्फल व्यय–रू0 1.59 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि.आ.वि.), बिहार सरकार के संकल्प संख्या–1193; दिनांक–21.06.2016 द्वारा केन्द्र प्रायोजित 'दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (DAY-NULM)' को राज्य के सभी नगर निकायों में कार्यान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त संकल्प के अनुसार, DAY-NULM योजना के 'कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन (EST & P) घटक के अंतर्गत Skill Training Providers (STPs) के माध्यम से शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार अथवा वेतनभोगी रोजगार उपलब्ध कराया जाना था। इस योजना में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाणीकृत (Certification) किया जाना था एवं प्रमाणीकृत प्रशिक्षुओं में से कम–से–कम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को नियोजन उपलब्ध कराया जाना था। तत्पश्चात् नियोजित लाभुकों को 12 महीने तक Tracking किया जाना था। न.वि.आ.वि. द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार, इस योजना में STPs द्वारा निर्धारित कोर्स के संचालन हेतु उन्हें भुगतान का मापदंड निम्न प्रकार था–

प्रथम किस्त	15%	प्रशिक्षण प्रारंभ होने के उपरांत शुरू के 15 दिन के बायोमीट्रिक उपस्थिति एवं विडियोग्राफी प्राप्त होने पर प्रथम किस्त का भुगतान किया जाएगा
द्वितीय किस्त	30%	सफल प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाणीकृत के अनुसार
तृतीय किस्त	40%	कुल सफल प्रमाणीकृत प्रशिक्षणार्थियों के कम–से–कम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन के उपरांत Pro-rata basis के अनुसार भुगतेय होगा
चतुर्थ किस्त	10%	नियोजित लाभुकों के 12 माह तक Tracking के उपरांत
अंतिम किस्त	5%	Performance Security के रूप में प्रथम किस्त से कटौती की गई राशि का भुगतान अंतिम किस्त के रूप में किया जाएगा

नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा कार्यान्वित DAY-NULM योजना की उपलब्ध करायी गई संचिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि उपरोक्त योजना के 'कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन (EST&P) घटक के अंतर्गत न.वि.आ.वि. द्वारा नामित तीन STPs द्वारा अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान कुल 120 लाभुकों को डी.टी.पी. एवं वेब डिजाईनिंग कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, नगर परिषद द्वारा मार्च 2016 में प्रशिक्षण प्रारंभ होने के उपरांत उक्त STPs को कुल रू0 1,58,958.00 राशि (आयकर की कटौती के पश्चात्) का भुगतान प्रथम किस्त (15 प्रतिशत) के रूप में किया गया था। विवरण निम्नांकित है–

कोर्स का नाम	लाभुकों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि	STP का नाम	STPs को भुगतान		कार्यादेश संख्या / तिथि
				राशि (रू0)	चेक संख्या / तिथि	
डी.टी.पी.	30	अप्रैल–जुलाई 2016	Datapro Computers P Ltd.	52,986	411254 / 31.03.2016	454 / 05.03.2016
डी.टी.पी. एवं प्रिंट पब्लिशिंग	30	अक्टूबर–दिसंबर 2016		–	52,986 का भुगतान लंबित	699 / 28.09.2016
वेब डिजाइनिंग	30	अप्रैल–जुलाई 2016	LCC Infotch Ltd.	52,986	411255 / 31.03.2016	491 / 05.03.2016
वेब डिजाइनिंग	30	अप्रैल–जुलाई 2016	Saurya Edunext Gen (P) Ltd.	52,986	411253 / 31.03.2016	318 / 05.03.2016
कुल				**1,58,958**		

अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि उपरोक्त कोर्स में 120 प्रशिक्षणार्थियों को अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। परंतु, प्रशिक्षण दिए जाने के 9 से 14 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी न तो प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं को प्रमाणीकृत (Certification) किया गया था और न ही उन्हें नियोजन/रोजगार उपलब्ध कराया गया था। संबंधित STPs को प्रथम किस्त के भुगतान के पश्चात् कोई भुगतान नहीं किया गया था। अर्थात् प्रशिक्षणार्थियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् योजना के अगले चरणों यथा: सफल प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाणीकरण किया जाना, संबंधित कोर्स में रोजगार प्रदान किया जाना एवं अगले 12 माह तक ट्रैकिंग किया जाना इत्यादि का कार्यान्वयन नहीं किया गया था। इससे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने का उद्देश्य विफल रहा।

अत: DAY-NULM योजना के EST&P घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार अथवा वेतनभोगी रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर कुल रू0 1,58,958.00 का व्यय निष्फल रहा।

अंकेक्षण आपत्ति के जवाब में बताया गया कि DAY-NULM योजना के EST&P घटक के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को न.वि.आ.वि. द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रमाणीकरण एवं रोजगार/नियोजन का कार्य भी उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उनके द्वारा प्रमाणीकरण एवं रोजगार/नियोजन का कार्य नहीं किए जाने के कारण उन्हें अगली किस्त का भुगतान भी नहीं किया गया। इसके लिए उन्हें नोटिस दिया जाएगा।

कंडिका (2): <u>कर्पूरी बस स्टैंड की विभागीय वसूली के कारण राजस्व हानि–रू0 33.28 लाख</u>

नगर परिषद–समस्तीपुर के नियंत्रणाधीन 'कर्पूरी बस स्टैंड' की बंदोबस्ती हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बंदोबस्ती की सुरक्षित जमा की राशि रू0 40,44,435.00 थी। बंदोबस्ती की शर्त संख्या–4 के अनुसार, कर्पूरी बस स्टैंड की बंदोबस्ती के सफल डाकवक्ता को बंदोबस्ती राशि का 50 प्रतिशत डाक के तुरंत बाद तथा शेष 50 प्रतिशत राशि सितम्बर 2015 तक जमा करना था। बंदोबस्ती की शर्त संख्या–5

के अनुसार, बंदोबस्ती अवधि के दौरान परिचालन वसूली में बाधा, बंदी, प्राकृतिक आपदा आदि के दिनों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 के लिए कर्पूरी बस स्टैंड की बंदोबस्ती उच्चतम डाकवक्ता श्री रूस्तम कुमार श्रीवास्तव के साथ कुल रू0 40,46,051 में की गई थी। बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती राशि का 50 प्रतिशत यानी कुल रू0 20,23,030.00 राशि (दिनांक–30.03.2015 एवं 31.03.2015 को) जमा किया गया था तथा शेष 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं किया गया था।

नगर परिषद द्वारा दिनांक–31.03.2015 को बंदोबस्तधारी के साथ एकरारनामा किया गया जिसमें बस पड़ाव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वाहनों से टॉल वसूली हेतु नगर परिषद बोर्ड द्वारा स्वीकृत नये दर पर वसूली की अनुमति दी गयी थी तथा दिनांक–31.03.2015 को टॉल वसूली हेतु परवाना (ज्ञापांक–338) निर्गत किया गया था। बंदोबस्तधारी द्वारा नये दर पर टॉल वसूली का दिनांक–02.04.2015 को मोटर वाहन संघों द्वारा विरोध किया गया जिससे उत्पन्न विधि–व्यवस्था की समस्या को देखते हुए बंदोबस्तधारी, मोटर वाहन संघों, नगर परिषद के प्रतिनिधियों एवं अनुमंडल पदाधिकारी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्तधारी को अगले आदेश तक विगत वित्तीय वर्ष के दर पर ही टॉल वसूली करने का निर्देश दिया गया। पुनः दिनांक–11.04.2015 को नगर परिषद बोर्ड की बैठक में बस स्टैंड से टॉल वसूली की दर को संशोधित किया गया तथा इसके अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। परंतु, बंदोबस्तधारी द्वारा पुराने दर पर टॉल वसूली नहीं किया गया। तत्पश्चात् नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड में पुराने दर पर विभागीय वसूली किया गया।

आगे, बंदोबस्तधारी द्वारा दिनांक–20.02.2016 को नगर परिषद को एक आवेदन दिया गया था जिसमें बंदोबस्तधारी द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए पूर्व के एकरारनामे के अनुसार बस पड़ाव को हस्तगत करने और जमा की गई राशि के समायोजन का अनुरोध किया गया था। इस आवेदन के जवाब में नगर परिषद द्वारा दिनांक–04.03.2017 (पत्रांक–358) को बंदोबस्तधारी द्वारा वर्ष 2015–16 में जमा की गई रू0 20,23,030.00 राशि को RTGS के माध्यम से वापस करने हेतु बंदोबस्तधारी के बैंक खाते से संबंधित जानकारी मांगी गई थी परंतु, यह पत्र बिना तामिला हुए वापस लौट गई थी। इस बीच बंदोबस्तधारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या CWJC No. 6138/2016 दायर किया गया था। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–02.08.2017 को फैसला सुनाया गया जिसमें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को फैसले की प्राप्ति/आदेश प्रकाशित होने की तिथि के एक माह के अंदर नगर परिषद के समक्ष बंदोबस्तधारी के दिनांक–20.02.2016 के लंबित आवेदन के निस्तारण का निर्देश दिया गया।

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1) वित्तीय वर्ष 2015–16 में बस पड़ाव की बंदोबस्ती कुल रू0 40,46,051.00 में की गई थी। परंतु, वर्ष 2017–18 के बजट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015–16 में बस पड़ाव से विभागीय वसूली द्वारा केवल कुल रू0 24,51,294.00 राशि की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, विभागीय वसूली के कारण नगर परिषद को कुल राशि रू0 15,94,757.00 (40,46,051.00– 24,51,294.00) के राजस्व की हानि हुई।

2) नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बस पड़ाव की बंदोबस्ती नहीं की गई थी तथा 23 वर्ष पुराने दर से ही विभागीय वसूली किया गया था। नगर परिषद द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को प्रेषित वर्ष 2016–17 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2016–17 में बस पड़ाव से विभागीय वसूली द्वारा कुल रू0 23,11,491.00 राशि की प्राप्ति हुई थी जो वर्ष 2015–16 की सुरक्षित राशि रू0 40,44,435.00 से रू0 17,32,944.00 (40,44,435.00–23,11,491.00) कम थी। इस प्रकार, विभागीय वसूली के कारण वर्ष 2016–17 में कुल रू0 17,32,944.00 राशि के राजस्व की हानि हुई।

3) वर्ष 2015–16 में बंदोबस्तधारी द्वारा पुराने दर से टॉल वसूली नहीं किए जाने एवं बंदोबस्ती की शर्तों के अनुसार सितंबर 2015 तक बंदोबस्ती की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं किए जाने के बावजूद बंदोबस्ती को रद्द नहीं किया गया था तथा विभागीय वसूली प्रारंभ कर दिया गया था।

जवाब में बताया गया कि वर्ष 2015–16 में बस पड़ाव की बंदोबस्ती बाधित होने तथा वर्ष 2016–17 में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा द्वारा टॉल वसूली दर निर्धारण में विलंब होने के कारण विभागीय वसूली की गई, परंतु इसके लिए पर्याप्त संख्या में एवं प्रशिक्षित कर्मी नहीं होने के कारण अपेक्षाकृत विभागीय वसूली कम हो पाई। आगे, वर्ष 2015–16 के लिए बस पड़ाव की बंदोबस्ती 31 मार्च 2016 तक के लिए ही थी, इस तिथि के उपरांत बंदोबस्ती स्वतः समाप्त हो जाती है।

जवाब अमान्य है क्योंकि वर्ष 2015–16 के लिए हुए बंदोबस्ती में बंदोबस्तधारी से शेष 50 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु प्रयास नहीं किया गया तथा विभागीय वसूली किया गया। वर्ष 2015–16 में विभागीय वसूली कम होने के बावजूद वर्ष 2016–17 में तत्कालीन दर पर बंदोबस्ती हेतु प्रयास किए जाने की बजाए विभागीय वसूली को जारी रखा गया परिणामस्वरूप नगर परिषद को इस मद में न्यूनतम राशि रू0 33,27,701 (15,94,757.00+ 17,32,944.00) के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

कंडिका (3): <u>विद्युत विपत्रों में 'विलंब भुगतान अधिभार' मद में देयता का सृजन– – रू 45.39 लाख</u>

बिहार सरकार के पत्रांक–418/2011/6594/वि0; दिनांक–26.06.2013 जिसकी प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि.आ.वि.), बिहार सरकार द्वारा (पत्रांक–1731; दिनांक–18.07.2013) राज्य

के सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रेषित की गई थी, के अनुसार सरकारी कार्यालयों द्वारा मासिक विद्युत विपत्र प्राप्त होते ही निर्धारित तिथि (डयू डेट) के पूर्व ही उसका भुगतान किया जाना था ताकि विलंबित भुगतान अधिभार (डी.पी.एस.) के भुगतान से बचा जाए। आगे, आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद विद्युत विपत्र का समय पर भुगतान नहीं होने के चलते डी.पी.एस. का भुगतान किया जाना कार्यालय प्रधानों की जिम्मेवारी होगी। पुनः न.वि.आ.वि. के पत्रांक–2ब/बजट/–14–16/2014/9884; दिनांक–30.12.2016 के द्वारा शहरी निकायों को बकाए विद्युत विपत्रों का भुगतान पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 14वें वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त आंतरिक संसाधन से शीघ्र करने का अनुरोध किया गया था।

नगर परिषद, समस्तीपुर के विद्युत विपत्रों की संचिका में संलग्न विद्युत विपत्र एवं इसके भुगतान से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि विद्युत कंपनी (नॉर्थ बिहार पॉवर डस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड) द्वारा फरवरी 2016 तक कुल 6 विद्युत विपत्रों की कुल बकाया राशि रू0 1,84,02,640 के भुगतान का अनुरोध किया गया था। नगर परिषद द्वारा उक्त लंबित विपत्र की राशि में से दिनांक– 29.03.2016 (चेक संख्या–A 0842440) को रू0 30,00,000 तथा दिनांक–15.03.2017 (चेक संख्या–A 0635940) को रू0 56,90,607.00 अर्थात कुल रू0 86,90,607.00 राशि का भुगतान किया गया था। शेष रू0 97,12,033 (1,84,02,640.00 –86,90,607.00) राशि का भुगतान अंकेक्षण की तिथि तक लंबित था। विद्युत विपत्रों के अवलोकन में पाया गया कि विद्युत कंपनी द्वारा उक्त विद्युत विपत्रों में 'भुगतान विलंब अधिभार (डी.पी.एस.) के मद में कुल रू0 45,38,774.00 को भी राशि शामिल किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	कंज्यूमर आई. डी.	विपत्र माह	विपत्र की राशि (रू0)	डी.पी.एस. की राशि (रू0)	विपत्र भुगतान की स्थिति
1.	400157475	फरवरी 2016	1,16,96,317	29,51,385	कुल विपत्र रू0 1,84,02,640 में से रू0 86,90,607 राशि का भुगतान मार्च 2016 से मार्च 2017 के दौरान किया गया था।
2.	400157476	फरवरी 2016	64,55,697	15,45,543	
3.	400157471	फरवरी 2016	26,126	3,529	
4.	400157472	फरवरी 2016	68,913	10,444	
5.	400157474	फरवरी 2016	98,824	19,570	
6.	400157473	फरवरी 2016	56,763	8,303	
		कुल	**1,84,02,640**	**45,38,774**	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूर्व में विद्युत विपत्रों का भुगतान देय तिथि पर नहीं करके विलंब से किया गया था जिसके कारण विद्युत कंपनी द्वारा उक्त विद्युत विपत्रों में विलंब अधिभार शुल्क की राशि रू0 45,38,377.00 जोड़कर विपत्र का दावा किया गया था। इस प्रकार, ससमय विद्युत विपत्रों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद द्वारा डी.पी.एस. के मद में कुल रू0 45,38,774.00 राशि के दायित्व (Liability) का सृजन किया गया।

जवाब में बताया गया कि नगर परिषद द्वारा बकाए विद्युत विपत्रों का भुगतान विभागीय आवंटन के आलोक में किया जाता है। प्राप्त आवंटन एवं अन्य आंतरिक संसाधन, बकाए राशि से अत्यंत कम होने के कारण विद्युत विपत्रों का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाना संभव नहीं है, आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा।

भाग– II (ख)

कंडिका (4): अपूर्ण शौचालयों पर अलाभकारी व्यय–रू0 23.40 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2614, दिनांक–29.05.2015 द्वारा केन्द्र प्रायोजित **'स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)'** योजना राज्य के सभी शहरी निकायों में लागू किया गया। न.वि. एवं आ.वि. द्वारा इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु राशि के वितरण के संबंध में निर्गत दिशानिर्देशों (दिनांक–19.08.2015) के अनुसार, योजना के लाभार्थी द्वारा नींव की खुदाई किए जाने पर नगर निकाय द्वारा प्रथम किस्त अग्रिम के रूप में रू0 7,500.00 का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी के द्वारा इस राशि से 45 दिनों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने पर द्वितीय एवं अंतिम किस्त की राशि रू0 4,500.00 का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुसार जिन लाभार्थियों द्वारा राशि का उपयोग शौचालय निर्माण में नहीं किया जाएगा उनके विरूद्ध वसूली की कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेवारी कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा कार्यान्वित कराई जा रही उपरोक्त योजना से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस योजना में जून 2016 से जुलाई 2017 के दौरान 390 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में कुल रू0 29,25,000.00 राशि (रू0 7,500.00 प्रति लाभार्थी की दर से) का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया गया था परंतु, इन 390 लाभार्थियों में से केवल 78 लाभार्थियों (20 प्रतिशत) को ही द्वितीय एवं अंतिम किस्त की राशि रू0 4,500.00 प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान मार्च 2017 में किया गया था। शेष 312 लाभार्थियों (80 प्रतिशत) द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त करने के दो से बीस महीने का समय व्यतीत होने के उपरांत भी द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं की गई थी जबकि 45 दिनों के अंदर ही शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाना था। स्पष्टतः प्रथम किस्त प्राप्त करने के पश्चात् लाभुकों द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। इससे शौचालय निर्माण हेतु ली गई राशि के अन्य उद्देश्यों पर उपयोग कर लिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, लाभुकों द्वारा द्वितीय किस्त नहीं लिए जाने के कारण 312 शौचालयों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा जिससे शौचालय विहीन परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण उपलब्ध कराने

का योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका तथा उस पर कुल रू0 2340000 राशि (312 x 7,500) का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

जवाब में बताया गया कि नगर परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी जाती है तथा तय समय सीमा के अन्दर उनसे इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश भी दिया जाता है। परंतु, कतिपय कारणों से ससमय शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर उनको कड़ी चेताबनी के साथ नोटिस निर्गत किया जाता है।

जवाब अमान्य है क्योंकि योजना मार्गदर्शिका के अनुसार राशि प्राप्त करने के दो से बीस महीने के बाद भी शौचालय का निर्माण नहीं करने पर लाभार्थियों के विरूद्ध राशि वसूली हेतु कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया था।

कंडिका (5): <u>कार्य संपादन में विलंब हेतु विलंब शुल्क की वसूली नहीं–रू0 2.60 लाख</u>

एकरारनामा प्रपत्र 19 F_2 के Clause 2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलंब हेतु प्रत्येक दिन के लिए प्राक्कलित राशि का ½ प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत Compensation राशि विलंब शुल्क के रूप में संवेदक से वसूल किया जाना था। नगर परिषद–समस्तीपुर द्वारा वर्ष 2015–17 के दौरान कार्यान्वित की गई योजना अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना मद की निम्नांकित योजनाओं में कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से लगभग 5–7 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण किया गया था। परंतु, नगर परिषद द्वारा संवेदकों के विपत्रों से विलंब शुल्क के रूप में कुल राशि रू0 2,60,450.00 की कटौती नहीं की गयी थी तथा उन्हें विपत्र की पूरी राशि का भुगतान किया गया था। विवरण निम्नांकित है–

क्र. सं.	ग्रुप संख्या (मद)	योजना का नाम	संवेदक का नाम	प्राक्कलित राशि	कार्यादेश के अनुसार कार्य समाप्त करने की तिथि	मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	विलंब शुल्क की राशि (रू0)
1	20 (चतुर्थ राज्य वित्त योजना)	वार्ड न. 6 में राजेन्द्र बाबू के घर से पाण्डेय जी के दुकान तक पी.सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण	श्री शिव कुमार पोद्दार	2,58,000	17.07.2016	07.02.2017	25,800
2	40 (चतुर्थ राज्य वित्त योजना)	वार्ड न. 12 में श्री ए. के. लाल के घर से मुख्य सड़क तक पी. सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण	श्री शिव कुमार पोद्दार	9,93,600	17.09.2016	05.02.2017	99,360
3.	02 (चतुर्थ राज्य वित्त योजना)	वार्ड न. 1 में अरविंद झा के घर से सत्येन्द्र सिंह के घर तक पी.सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण	तौफिक अहमद	6,82,900	29.08.2016	08.02.2017	68,290

4.	77 (चतुर्थ राज्य वित्त योजना)	वार्ड न. 15 में सुरेश राम के घर से वैजनाथ राय के घर तक पी.सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण	निरज कुमार	4,21,800	27.07.2016	06.01.2017	42,180
5.	05 (चतुर्थ राज्य वित्त योजना)	वार्ड न. 2 में प्रो. गनी के घर से मुक्ष्य सड़क तक पी.सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण	तौफिक अहमद	2,48,800	28.06.2016	06.01.2017	24,880
				कुल			**2,60,450**

जवाब में बताया गया कि विलंब शुल्क की वसूली संबंधित संवेदक से करने की कार्रवाई की जाएगी। जवाब के आलोक में विलंब शुल्क की वसूली की कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में हुई प्रगति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका (6): <u>सी.एफ.एल. एवं एल.ई.डी लाईट का अनियमित क्रय–रू0 37.03 लाख</u>

नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा सी.एफ.एल एवं एल.ई.डी लाईट के क्रय के लिए दिनांक– 26.08.2015 को स्थानीय अखबार 'प्रभात खबर' में अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना–03/ 2015–16 सूचना प्रकाशित की गयी थी, जिसमें कोटेशन जमा करने का दिनांक–31.08.2015 समय 3.00 बजे तक एवं निविदा खोलने का समय दिनांक–31.08.2015 समय 3.30 बजे दिया गया था। निविदा के उपरांत नगर परिषद द्वारा कुल 280 एल.ई.डी लाईट (45 वाट) एवं 420 सी.एफ.एल (85 वाट) का क्रय क्रमशः रू0 8,290.00 एवं रू0 3,290.00 प्रति इकाई की दर से चयनित फर्म 'मेसर्स इलेक्ट्रिक सेन्टर बंगाली टोला, समस्तीपुर' से कुल रू0 37,03,000 में किया गया था। क्रय संचिका के अवलोकन में निम्नांकित अनियमितताएं पायी गईं–

<u>लेखापरीक्षा टिप्पणी–</u>

(i) तुलनात्मक विवरणी जॉच क्रम में पाया गया कि एल.ई.डी लाईट का न्यूनतम दर रू0 8,290 आपूर्तिकर्ता ईलेक्ट्रिक सेंटर, बंगाली टोला, समस्तीपुर का था एवं सी.एफ.एल का न्यूनतम दर रू0 2,290 आपूर्तिकर्ता हर्ष इन्टरप्राईजेज, पटना का था। परन्तु कार्यालय द्वारा आपूर्तिकर्ता का चयन दोनों सामग्रियों के समग्र दर कम होने के आधार पर तुलनात्मक विवरणी के क्रम संख्या 6 पर वर्णित आपूर्तिकर्ता ईलेक्ट्रिक सेंटर, बंगाली टोला, समस्तीपुर का किया गया जिसके कारण 420 सी.एफ.एल बल्ब के क्रय पर पर कुल रू0 252000 {420 x (8,290–2,290)} का अधिक व्यय किया गया।

(ii) बिहार वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार के सामग्री के क्रय के लिए भुगतान के समय आपूर्तिकर्ता द्वारा Form C-III प्रस्तुत नहीं किए जाने पर वैट की कटौती कर ही भुगतान किया जाना है तथा वैट के मद में कटौती की गई राशि वाणिज्य कर विभाग में अविलंब जमा कर किए जाने का प्रावधान है। ऐसा नहीं किए जाने पर जिम्मेवार व्यक्ति/आहरण एवं व्यन्न पदाधिकारी से दोगुनी राशि की वसूली का प्रावधान है। इलेक्ट्रीकल सामग्रियों पर सरकार द्वारा 13.50 प्रतिशत वैट का अधिरोपण किया गया है। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त नियम की अवहेलना करने हुए आपूर्तिकर्ता

को वैट की राशि रू0 4,99,905.00 (37,03,000.00 का 13.5 प्रतिशत) की कटौती नहीं कर अभिकर्ता को भुगतान कर दिया गया। अतः सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर करों की कटौती नहीं करके आपूर्तिकर्ताओं को रू0 4,99,905 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(iii) संचिका जॉच में पाया गया कि उपर्युक्त नियम–131 (ज) विज्ञापित निविदा पूछताछ नियम की अवहेना करते हुए निविदा का निष्पादन किया गया था। साथ ही, दिनांक–26.08.2015 को स्थानीय अखबार 'प्रभात खबर' में अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना–03/2015–16 से संबंधित निविदा हेतु प्रकाशित की गयी थी, जिसमें कोटेशन जमा करने का तिथि–31.08.2015 समय 3.00 बजे तक एवं निविदा खोलने की तिथि–31.08.2015 समय 3.30 बजे दिया गया था। अर्थात निविदा बोली में तीन सप्ताह का समय नहीं देकर मात्र 4 दिन का समय दिया गया था जिसके कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पायी।

(iv) निविदा में एल.ई.डी. एव सी.एफ.एल लाईट की क्रय की जानेवाली अपेक्षित संख्या की चर्चा नहीं की गई थी।

उपरोक्त अंकेक्षण आपत्ति के जवाब में बताया गया कि तुलनात्मक विवरणी में एल.ई.डी. एवं सी. एफ.एल. लाईट के सम्मिलित दर का आकलन कर न्यूनतम देयतावाले एजेन्सी को कार्यादेश दिया गया। आपूर्तिकर्ता को नोटिस कर फार्म C-III प्राप्त किया जाएगा तथा फार्म C-III प्रस्तुत नहीं करने पर देय राशि की वसूली की जाएगी। नगर परिषद द्वारा वर्तमान में क्रय किए जानेवाली सामग्रियों के विज्ञापन में उनकी संख्या अंकित की जाती है।

कंडिका (7): टैबलेट क्रय में अनिमितता–रू0 1.98 लाख

नगर परिषद, समस्तीपुर के टैबलेट क्रय से संबंधित संचिका की जॉच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2015–16 में 4 टैबलेट का क्रय आर.के.सेन्टर गोपालगंज से रू0 1,98,000.00 (49,500×4) में किया गया था। आपूर्तिकर्ता को वैट की राशि रू0 31,920.00 रू0 की कटौती कर कुल रू0 1,66,080.00 का भुगतान चेक संख्या–A08191 एवं A08192: दिनांक–25.04.2015) किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम–131(घ) के अनुसार रू0 15,000.00 से अधिक एवं रू0 1,00,000.00 तक की खरीदगी समुचित स्तर पर गठित तीन सदस्यों वाली स्थानीय क्रय समिति की अनुशंसा पर की जायेगी। समिति दर, गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की युक्तिसंगतता निश्चित करने तथा सही आपूर्तिकर्त्ता की पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी। क्रयादेश देने हेतु अनुशंसा करने के पहले समिति के सदस्य सामूहिक रूप से निम्नवत् एक प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगें–"प्रमाणित किया जाता है कि हमलोग,....., क्रय समिति के सदस्यगण सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट है कि क्रय हेतु अनुशंसित सामग्रियाँ निर्धारित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता की है तथा वर्तमान बाजार दर पर मूल्यीकृत है और अनुशंसित आपूर्तिकर्ता विश्वासी है एवं संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु सक्षम है।"

टैबलेट का कुल मूल्य रू0 1,98,000.00 का किया गया जो रू0 1.00 लाख से अधिक था, परन्तु कार्यालय द्वारा उपर्युक्त वित्तीय नियम का अनुपालन नहीं किया गया एवं मेसर्स आर. के. सेन्टर जगरनाथ मार्केट, थाना चौक, बरौनी, गोपालगंज से टैबलेट का क्रय किया गया।

(ii) वैट कटौती की राशि रू0 31,920.00 के संबंधित कार्यालय में जमा से संबंधित प्रमाण प्रत्र संचिका में नहीं पाया गया।

जवाब में बताया गया कि वैट कटौती का साक्ष्य अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा तथा खरीद सम्बन्धी निदेशों का अनुपालन किया जाएगा। जवाब के अनुरूप उचित अनुपालन किया जाए।

कंडिका (8): <u>लैपटॉप क्रय में अनियमितता–रू0 8.29 लाख</u>

कार्यालय, नगर परिषद, समस्तीपुर के लैपटॉप से संबंधित संचिका के जॉच में पाया गया कि 28 लैपटॉप क्रय हेतु दिनांक–07.05.2015 को स्थानीय अखबार में निविदा निकाली गयी थी, जिसमें तीन आपूर्तिकर्ता ने निविदा प्रकिया में भाग लिया था। नगर परिषद कार्यालय द्वारा आई.बी.एम., समस्तीपुर से 28 लैपटॉप का क्रय रू0 8,29,080 (प्रति लैपटॉप रू0 29,610.00) में किया गया था। आपूर्तिकर्ता को 5 प्रतिशत वैट (रू0 41,454.00) की कटौती करते हुए रू0 4,14,540.00 (चेक संख्या–A084232/29.12.2015) एवं रू0 3,73,086.00 (चेक संख्या–A084237/15.03.2016) यानी कुल रू0 7,87,626.00 (4,14,540.00 + 3,73,086.00) का भुगतान किया गया था।

<u>लेखापरीक्षा टिप्पणी–</u>

(i) वित्तीय नियमानुसार निविदा निष्पादन हेतु पहले तकनीकी निविदा खोलकर तुल्नातमक विवरणी बनाया जाता है एवं तकनीकी निविदा में सफल आपूर्तिकर्ता का ही वित्तीय निविदा खोला जाना चाहिए, परन्तु कार्यालय द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का तुलनात्मक विवरणी एक साथ बना दिया गया एवं कम दर के आधार पर आई.बी.एम कम्प्यूटर को आपूर्ति करने हेतु आदेश दिया गया। नियमानुसार कार्यालय द्वारा तकनीकी निविदा खोलकर तुलनात्मक विवरणी बनायी जाती तो आइ,बी.एम कम्प्युटर एवं साई नाथ कम्प्यूटर को असफल घोषित कर दिया जाता क्योंकि दोनों आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। इस प्रकार एकल निविदा हो जाती। बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 के अनुसार एकल निविदा होने पर पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है। यदि दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मुल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जाए। परन्तु कार्यालय द्वारा उपर्युक्त नियम की अवहेलना करते हुए असफल आपूर्तिकर्ता आई.बी.एम कम्प्युटर, समस्तीपुर को ही 28 लैपटॉप के क्रय हेतु आदेश दिया गया। इस प्रकार 28 लैपटॉप का अनियमित क्रय रू0 8,29,080.00 (28 × 29,610.00) किया गया।

(ii) बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार निविदा प्रकाशन की तिथि से इसके प्राप्त किए जाने के लिए न्यूनतम तीन सप्ताह का समय निर्धाति किया जाना

है जबकि कार्यालय द्वारा निविदा प्रकाशन दिनांक 07.05.2015 को किया गया निविदा जमा करने की तिथि 11.05.2015 एवं निविदा खोलने की तिथि–12.05.2015 समय 3.00 बजे था। इस प्रकार कार्यालय द्वारा मात्र 5 दिन का समय दिया गया जो उपर्युक्त नियम के प्रतिकुल है।

(iii) वैट कटौती की राशि रू0 41,454.00 के संबंधित कार्यालय में जमा से संबंधित प्रमाण प्रत्र संचिका में नहीं पाया गया।

(iv) टिप्पण के अनुसार 5 प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि रू0 41,454.00 की कटौती आपूर्तिकर्ता से किया जाना था, परन्तु कार्यालय द्वारा सुरक्षित जमा की कटौती नहीं करते हुए भुगतान कर दिया गया।

अंकेक्षण आपत्ति के जवाब में बताया गया कि उक्त निविदा का तुलनात्मक विवरणी तकनीकी एवं वित्तीय दोनों के सम्मिलित आधार पर बनाई गयी थी, भविष्य में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग रूप से कराई जाएगी। निविदा के प्रकाशन अवधि को ध्यान में रखा जाएगा तथा वैट कटौती का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जवाब के अनुरूप उचित अनुपालन किया जाए।

कंडिका (9): <u>अवमानक कार्य का संपादन किया जाना–रू0 3.71 लाख</u>

ग्रुप संख्या/मद	70/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
योजना का नाम	वार्ड नं0–25 में जयकान्त पासवान के घर से श्री टिंकु पाण्डेय के घर पी.सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण
प्राक्कलित राशि	रू0 5,25,000.00
एकरारनामा राशि	रू0 4,50,034.00 (10 प्रतिशत कम पर)
मापी पुस्त राशि	रू0 3,71,125.00
संवेदक का नाम	मो0 मिस्टर
कार्यादेश तिथि	74/06.02.2016
कार्य पूर्ण करने की तिथि	18.09.2016
कुल भुगतान	रू0 3,71,125.00

<u>अंकेक्षण टिप्पणी–</u>

कार्य का प्राक्कलन रू0 5,25,000.00 का था तथा एकरारनामा 10 प्रतिशत कम राशि पर रू0 4,50,034.00 में किया गया था। अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया कि संवेदक द्वारा केवल रू0 3,71,125.00 मूल्य का ही कार्य संपादित किया गया था। मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य की मदों में निम्नांकित विचलन किया गया था–

कार्य का मद	प्राक्कलन के अनुसार कार्य की मात्रा	मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य की मात्रा	कम कार्य की मात्रा
1	2	3	4 (2-3)
Providing 100A brick on flat soling	180.11m^2	158.36m^2	21.75m^2
Providing PCC (1:2:4) in foundation with stone chips and K sand	8. 40m^2	6.64m^2	1.76m^2
Providing 100A brick in C.M. (1:4) in foundation and plinth work K sand	33. 49m^3	26.16m^3	7.33m^3
Providing 12 mm cement ploser in C.M. (1:4)	176.57m^2	132.96m^2	43.61m^2
Providing RCC (1:2:4) cover of drain with stone chips and K sand	11. 19m^3	8.84m^3	2.35m^3
Providing M.S. reinforcement	889.71 kg	780.46 kg	109.25 kg
Cos of shuttering	36.64m^3	28.92m^3	7.72m^3

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्राक्कलन के अनुसार कार्यान्वित कराए जानेवाले कार्य की मदों के अनुसार कार्य का संपादन नहीं किया गया तथा कार्य की मदों में निर्धारित मात्रा से कम कार्य कराया गया। इससे स्पष्ट है कि अवमानक कार्य का संपादन किया गया।

जवाब में बताया गया कि उक्त योजना के संबंध में संबंधित कनीय अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त कर लेखापाल के जाँचोपरांत भरपायी की कार्रवाई की जाएगी। जवाब के आलोक में उचित अनुपालन किया जाए।

कंडिका (10): <u>सैरात की बंदोवस्ती की राशि जमा नहीं–रू0 3.66 लाख</u>

नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए सैरात बंदोबस्ती की संचिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2015–16 के लिए मार्च 2015 में 'गुदरी मार्केट' एवं 'होर्डिंग' की बंदोबस्ती कुल रू0 9,15,002.00 में की गई थी। परंतु, बंदोबस्तधारियों द्वारा कुल रू0 7,49,000.00 राशि ही जमा की गई थी तथा शेष रू0 3,66,002.00 राशि बंदोबस्तधारियों द्वारा अंकेक्षण अवधि तक जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	सैरात का नाम	बंदोबस्ती का वर्ष	बंदोबस्ती की राशि (रू0)	जमा की गई राशि (रू0)	नहीं जमा की राशि (रू0)	बंदोबस्तधारी का नाम
1	2	3	4	5	6(4–5)	7
1	गुदरी मार्केट	2015–16	4,15,001	2,49,000	1,66,001	श्री शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता
2	होर्डिंग	2015–16	5,00,001	3,00,000	2,00,001	श्री रविशंकर सिंह
कुल			**9,15,002**	**5,49,000**	**3,66,002**	

बंदोवस्ती सूचना की शर्त संख्या–6 के अनुसार, सफल डाकवक्ताओं द्वारा बंदोबस्ती राशि का 60 प्रतिशत राशि तुरंत जमा करना होगा तथा शेष राशि सितम्बर 2015 तक जमा करना होगा। परन्तु, शर्तों का उल्लंघन करते हुए पूरी राशि जमा नहीं करने के बावजूद सफल डाकवक्ताओं की न तो जमानत

राशि जब्त की गई और न ही बंदोवस्ती रद्द की गयी थी तथा बंदोबस्ती की उक्त राशि रू0 3,66,002.00 बंदोबस्ती के दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वसूली हेतु लंबित थी।

जवाब में बताया गया कि उपरोक्त दोनों बंदोबस्तधारी की बंदोबस्ती 31 मार्च 2016 को स्वतः समाप्त हो गई है, परंतु बकाया राशि की वसूली हेतु इन्हें पुनः नोटिस करते हुए अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जवाब के आलोक में बंदोबस्ती की बकाया राशि की यथाशीघ्र वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका (11): <u>निधियों का अवरोधन–रू0 18.67 लाख</u>

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम–343 के अनुसार, प्राप्त अनुदानों का उपयोग एक निश्चित समय–सीमा में किया जाना चाहिए तथा यदि संस्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई हो तो अनुदान राशि का व्यय तार्किक समय के अंदर किया जाना चाहिए एवं अनुदान की अव्ययित राशि सरकार को प्रत्यर्पित कर दी जानी चाहिए। आगे, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–69(9) के अनुसार, अनुदान प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष से अधिक अवधि से बची अनुपयोगी राशि को उनको लौटाया जाएगा जिससे अनुदान प्राप्त हुआ था।

नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा नगर परिषद को निम्नांकित योजनाओं/मदों के अंतर्गत मार्च 2017 तक कुल रू0 18,67,000.00 राशि अवशेष पड़ी हुई थी। उक्त योजनाएं/मद बंद हो चुकी थी परंतु, अनुपयोगी निधियों को अनुदान संस्वीकृति प्राधिकारियों को वापस नहीं किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	30.03.2017 को रोकड़बही अंतशेष (रू0)
1.	प्रशासनिक भवन	15,47,000.00
2.	S.J.S.R.Y.	3,20,000.00
	कुल	**18,67,000.00**

जवाब में बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य कराया जा रहा है, कार्योपरांत अवशेष राशि से भुगतान किया जाएगा। S.J.S.R.Y. अंतर्गत पूर्व के लंबित प्रशिक्षण कार्य का भुगतान संबंधित संस्था को जाँचोपरांत करने के पश्चात् शेष राशि को एन.यू.एल.एम. में अंतरित अथवा विभाग को वापस किया जाएगा।

जवाब अमान्य है क्योंकि प्रशासनिक भवन एवं S.J.S.R.Y. के लंबित विपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः यदि आवश्यकता न हो तो उपरोक्त अवशेष अनुदान राशि को सरकार को वापस कर दिया जाए।

कंडिका (12): अग्रिम का समायोजन लंबित– रू0 5.00 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–3458; दिनांक–21.06.2011 के अनुसार प्रधान सचिव द्वारा सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि शहरी अभियंत्रण कोषांग (डूडा) द्वारा नगर निकायों से उनको आवंटित किए गए परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत का चार प्रतिशत (4%) सेवा शुल्क (सेन्टेज चार्ज) लिया जाएगा।

नगर परिषद, समस्तीपुर के रोकड़बही के जॉच कम में पाया गया कि चेक संख्या– 084196; दिनांक–11.08.2015 द्वारा रू0 5,00,000.00 का अग्रिम भुगतान कार्यपालक अभिंयता, डुडा, समस्तीपुर को सेवा शुल्क के रूप में किया गया था। नगर परिषद कार्यालय द्वारा 4 प्रतिशत सेवा शुल्क की गणना के लिए डूडा, समस्तीपुर को आवंटित योजनाओं की संख्या एवं उनकी प्राक्कलित राशि से संबंधित विवरणी नहीं बनाया गया था जिससे सेवा शुल्क की वास्तविक देय राशि का पता नहीं चल सका। डुडा कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा अवधि तक प्राप्त उक्त अग्रिम राशि के विरूद्ध कोई समायोजन विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने पर भी उक्त अग्रिम राशि समायोजन हेतु लंबित थी।

जवाब में बताया गया कि डूडा कार्यालय से अभिश्रव प्राप्त कर समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। डूडा कार्यालय को भुगतान किए गए रू0 5,00,000.00 के अग्रिम का समयोजन कर अभिश्रव अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका (13): मोबाईल टावर के विरूद्ध बकाया नवीकरण शुल्क–रू0 32.71 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाइल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक–08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर नगर परिषद में पंजीकरण शुल्क रु0 40,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रु0 10,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60% की दर से कर लगाया जाएगा। नियम 6(6) के अनुसार, पंजीकरण के 30 दिनों के अंदर शुल्क प्राप्त नहीं होने तथा 6(7) के अनुसार, कम्पनियों द्वारा नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक जमा नहीं किए जाने की स्थिति में 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा। आगे, नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि.आ.वि.), बिहार सरकार के पत्रांक–SPUR/PMU/001/GC-PF2/2013/757; दिनांक–14.02.2014 के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत अधिष्ठापित मोबाईल टावरों के कंपनियों को कुल डिमांड तैयार कर प्रेषित किया जाना था।

मोबाईल टावर से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि समस्तीपुर, नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावरों के विरूद्ध पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क मद में बकाए राशि एवं वसूली से संबंधित कोई समेकित विवरण तैयार नहीं किया गया था जिससे दिनांक–31.03.2107 को इस मद में कुल बकाए राशि की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। मोबाईल टावर से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि

नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा अगस्त 2016 में मोबाईल टावर कंपनियों को नोटिस प्रेषित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि टावर शुल्क की बकाए राशि का भुगतान 15 दिनों के अंदर किया जाए अन्यथा बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त नोटिस के अनुसार नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत विभिन्न कंपनियों के अधिष्ठापित कुल 25 मोबाईल टावरों के विरूद्ध पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के मद में अप्रैल 2016 तक कुल रू0 32,71,400.00 राशि (1.5 प्रतिशत ब्याज सहित) बकाया थी। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टावरों की संख्या	अप्रैल 2016 तक बकाया राशि (रू0)
1	वोडाफोन ईसार, स्पेशल लिमिटेड	7	6,83,200.00
2	भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड	7	10,80,100.00
3	टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	1,88,400.00
4	VIOM NETWORK LIMITED	4	7,02,450.00
5	Reliance Jio	4	1,77,500.00
6	Reliance Infocomm Limited	2	4,39,750.00
	कुल	**25**	**32,71,400.00**

उपरोक्त मोबाईल टावरों के विरूद्ध पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के मद में रू0 32,71,400.00 राशि के कुल मांग के विरूद्ध कितनी राशि वसूल की गई थी तथा टावर कर जमा नहीं किए जाने की स्थिति में नगर परिषद द्वारा बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली के तहत की गई कार्रवाई से संबंधित कोई अभिलेख संचिका में नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2016 के बाद टावर कर की मांग को अद्यतन नहीं किया गया था।

आगे, यह पाया गया कि दिनांक–20.10.2016 को नगर परिषद द्वारा समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित किया गया था जिसमें मोबाईल टावर कंपनियों द्वारा बकाए सशि का भुगतान दिनांक–30.11.2016 तक नहीं किए जाने की स्थिति में टावर को सील करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही गई थी तथा ऐसे भूस्वामियों जिनके स्थलों पर मोबाईल टावर स्थापित किए गए थे, को सूचित किया गया था कि वे दिनांक–30.11.2016 तक अपने भूमि का व्यावसायिक संपत्ति कर (Commercial Property Tax) जमा कराएँ। संचिका में उक्त सूचना के आलोक में कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं पाई गई।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में बताया गया कि नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत मोबाईल टावर कंपनियों को समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित कर तथा व्यक्तिगत नोटिस भेज कर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न मोबाईल टावर कंपनियों द्वारा नगर परिषद द्वारा शुल्क वसूली को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में कई वाद दायर किए गए थे। इनके सदृश्य मामले

में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–16.12.2016 के आदेश के आलोक में न.वि.आ.वि. द्वारा दिनांक–13.07.2017 को शुल्क वसूली की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में मोबाईल टावर शुल्क की वसूली की प्रकिया की जाएगी। जवाब के आलोक में मोबाईल टावर शुल्क की वसूली की जाए।

कंडिका (14): <u>सैरात बंदोबस्ती में राजस्व हानि–रू0 5.42 लाख</u>

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1026; दिनांक–15.02.2013 एवं अधिसूचना संख्या–1810; दिनांक–26.07.2013 के अनुसार, एक वर्ष के लिए सैरातों की बन्दोबस्ती में बन्दोबस्ती राशि का 5% निबंधन शुल्क के मद में एवं 5% मुद्रांक शुल्क के मद में यानी कुल 10% राशि वसूल किया जाना है। परंतु, नगर परिषद्–समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए सैरातों की बंदोवस्ती से संबंधित संचिकाओं की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लिए सैरातों की बन्दोबस्ती राशि पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के मद में 10% राशि की वसूली नहीं किया गया था, जिसके कारण कुल रू0 5,41,605.00 राशि के राजस्व की हानि हुई। विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	सैरात का नाम	वर्ष	बंदोवस्ती राशि (रू0)	निबंधन एवं मुद्रांक शुल्क की वसूल की जानेवाली 10% राशि (रू0)	निबंधन एवं मुद्रांक शुल्क की वसूल की गई राशि (रू0)	राजस्व हानि (रू0)
1	2	3	4	5	6	7 (5–6)
1	कर्परी बस स्टैंड	2015–16	40,46,051	4,04,605	1,000	4,03,605
2	गुदरी बाजार	2015–16	4,15,001	41,500	0	41,500
3	होर्डिंग	2015–16	5,00,00	50,000	1,000	49,000
		2016–17	4,75,005	47,500	0	47,500
कुल				**5,43,605**	**2,000**	**5,41,605**

जवाब में बताया गया कि पूर्व में बंदोबस्ती में तदनुसार वसूली की गई थी परंतु भविष्य में निदेशानुसार मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की वसूली की जाएगी। जवाब के अनुरूप उचित अनुपालन किया जाए।

कंडिका (15): <u>भविष्य निधि अंशदान की राशि कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं–रू0 26.55 लाख</u>

भविष्य निधि प्रबंधन की आर्दश नियमावली, 1933 के नियम–5 एवं 6 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि मद में कटौती की गई राशि को संबंधित कर्मचारी के पोस्ट ऑफिस में संधारित खाते में जमा किया जाना है। कटौती की गई उक्त राशि को प्रत्येक माह के पहली एवं चौथी तारीख के बीच जमा किया जाना है ताकि उस माह के लिए ब्याज की प्राप्ति हो सके।

नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा भविष्य निधि से संबंधित उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई भविष्य निधि की राशि रू0 26,55,000.00 को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करने की बजाए वर्ष 2016–17 के दौरान संबंधित कर्मचारियों को चेक के माध्यम से अग्रिम के रूप में भुगतान कर दिया गया था। उक्त भुगतान से संबंधित भुगतान आदेश की प्रति लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। आगे, यह भी पाया गया कि कर्मचारियों का व्यक्तिगत भविष्य निधि खाता नहीं खुलवाया गया था। इस प्रकार, भविष्य निधि अंशदान की राशि कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं किए जाने के कारण उन्हें प्राप्त होनेवाले ब्याज राशि की हानि हुई।

अंकेक्षण आपत्ति के जवाब में बताया गया कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारी संघों के विभिन्न मांगों के लेकर की गई हड़ताल, धरना–प्रदर्शन इत्यादि के उपरांत समझौता वार्ता में उनकी मांगों के तहत भविष्य निधि की राशि चेक के माध्यम से दी गई। वर्तमान में इनका पूर्व का भविष्य निधि खाता प्रधान डाकघर में बन्द कर दिया है। पुनः इन्हें नये सिरे से राष्ट्रीयकृत बैंक में भविष्य निधि खाता खोलने की प्रक्रिया की जा रही है जिसमें इनके भविष्य निधि की राशि जमा की जाएगी।

जवाब अमान्य है क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य निधि की राशि को उनके व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किए जाने के कारण उन्हें प्राप्त होनेवाले ब्याज राशि से वंचित रहना पड़ा।

कंडिका (16): <u>श्रम कर संबंधित विभाग में जमा नहीं– रू0 0.62 लाख</u>

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर, 1996 की अधिसूचना षीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तदनानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना संख्या–4/एफ–1–302/2006, श्र0 नि0–865; दिनांक–18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है। परन्तु नगर परिषद, समस्तीपुर नमुना लेखापरीक्षा में उपलब्ध योजना संचिकाओं की नमूना जॉच क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 चतुर्थ राज्य वित आयोग की कार्यान्वित की गई योजनाओं में संवेदकों के विपत्रों से श्रम उपकर के मद में रू0 62,259.00 राशि कटौती की गयी थी, परन्तु कटौती की गई श्रम सेस की उक्त राशि को संबंधित कार्यालय में जमा नहीं कराया गया था। विवरण निम्न है:–

क. सं.	ग्रुप संख्या	विपत्र की राशि (रू0)	श्रमसेस की कटौती की गई राशि (रू0)
1	19	2,85,830	2,858
2	42	8,36,781	8,367
3	01	7,25,055	7,251
4	40	4,57,043	4,570
5	02	4,42,680	4,427
6	24	4,92,362	4,923
7	77	3,61,570	3,616

8	45	2,13,256	2,133
9	70	3,71,125	3,712
10	37	5,85,001	5,850
11	–	1,91,700	1,917
12	42	8,36,782	8,368
13	61	4,26,709	4,267
	कुल		**62,259**

नगर परिषद कार्यालय वर्षवार एवं मदवार श्रम सेस की कटौती की गई राशि से संबंधित विवरणी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी इससे यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि वर्ष 2015–17 के दौरान इस मद में कितनी राशि की कटौती की गई थी।

जवाब में बताया गया कि श्रम कर की कटौती की गई राशि को संबंधित विभाग में शीघ्र जमा कर दी जाएगी। जवाब के आलोक में वर्ष 2015–17 के दौरान कटौती की गई श्रम कर की कुल राशि की गणना कर संबंधित विभाग में जमा की जाए तथा इससे संबंधित अभिलेख अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका (17): <u>असमायोजित अग्रिम–रू0 36.87 लाख</u>

कार्यालय नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। लेखापाल रोकड़बही के जॉच क्रम में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015–16 से 2016–17 के दौरान विभिन्न तिथियों में कुल रू0 36,87,000.00 अग्रिम का भुगतान किया गया था। विवरण निम्न है–

क. सं.	अग्रिम प्राप्तकर्ता का नाम एवं प्रयोजन	राशि (रू0)
1	श्री अंजनी कुमार जयपुरियार, कनीय अभियंता	17,15,000.00
2	श्री अशोक कुमार गुप्ता, कबीर अंत्येष्ठी एवं 15 अगस्त सेवानिवृत कर्मचारी हेतु	5,07,000.00
3	श्री अरबिन्द कुमार, कनीय अभियंता	7,15,000.00
4	श्री प्रेम शंकर कुमार, विविध व्यय	1,00,000.00
5	रवेल सिंह सेवा संस्थान	1,50,000.00
6	जनहित संस्कृतिक कला केन्द्र	5,00,000.00
	कुल	**36,87,000.00**

जवाब में बताया गया कि विपत्र प्राप्त कर अग्रिम का समायोजन किया जाएगा।

कंडिका (18): <u>कबीर अंत्येष्टि का समायोजन लंबित–रू0 2.25 लाख</u>

नगर परिषद, समस्तीपुर के कबीर अंतेष्ठि मद से संबंधित रजिस्टर एवं पासबुक के जॉचक्रम में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न वार्ड पार्षदों को दिनांक– 26.03.2016 से 07.03.2017 के दौरान कुल रू0 2,25,000.00 राशि कबीर अंतेष्टि मद में भुगतान किया गया था, परन्तु लेखापरीक्षा अवधि तक

वार्ड पार्षदों द्वारा प्राप्त की गई राशि के विरूद्ध व्यय विवरणी, भुगतान अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया था।

जवाब मे बताया गया कि सभी वार्ड पार्षदों से अभिश्रव प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जवाब के अनुरूप अभिश्रव प्राप्त कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका (19): <u>गृहकर रसीदों द्वारा संग्रहित राशि का नहीं जमा–रू0 0.33 लाख</u>

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–22(1) के अनुसार, प्राप्त अधिकरों को नगरपालिका के कोषागार खाता या राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में उसी दिन या उसके दूसरे कार्य दिवस के दोपहर तक अवश्य ही जमा की जानी चाहिए। उक्त नियमावली के नियम–27 में प्रावधान है कि प्रत्येक कर संग्राहक बी.एम.ए.आर. प्रपत्र संख्या–17 में एक संग्रहण बही का संधारण करेंगें जिसमें राशि संग्रहण के बाद निर्गत की गयी मूल रसीद की सारी प्रविष्टियाँ की जाएंगी तथा कर संग्राहक अपने सारे संग्रहण राशि को दैनिक रूप से कैशियर के पास जमा करेंगें जो संग्रहित राशि को अधिकृत बैंकों में जमा कर देंगें।

नगर परिषद, समस्तीपुर के संपत्ति कर की वसूली से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि निम्नांकित कर संग्राहकों द्वारा संपत्ति कर के मद में संग्रह की गई कुल रू0 33,022.00 राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्नांकित है–

क. सं.	रसीद संख्या	संग्रह की तिथि	संग्रह की कुल राशि (रू0)	जमा की गई राशि (रू0)	कम/नहीं जमा राशि (रू0)	कर संग्राहक का नाम
1	2	3	4	5	6 (4–5)	7
1.	9407	23.03.2017	12,221	0	12,221	मो0 दुलारे
2.	4500	20.05.2016	20,801	0	20,801	श्री ललित भूषण प्रसाद सिन्हा
	कुल		**33,022**	**0**	**33,022**	

जवाब में बताया गया कि रोकड़पाल के पास राशि जमा कर दी गई है तथा बैंक में राशि जमा कर रसीद प्रस्तुत कर दी जाएगी।

रोकड़पाल द्वारा प्राप्त की गई राजस्व राशि को यथाशीघ्र नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा इससे संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

कंडिका (20): <u>रोकड़बही एवं बैंक खातों के अंतशेष का विवरण</u>

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 13(1) के अनुसार बैंक बही का संधारण लेखापाल को बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–3 में करना है जिसमें प्रत्येक बैंक या ट्रेजरी खातों में जमा एवं निकासी से संबंधित सारी प्रविष्टियॉ की जायेगी। इसके अतिरिक्त 13(5) में बैंक या कोषागार के खातों